

नवंबर 2020

## PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- [कोवडि-19](#)
  - आत्मनिर्भर भारत 3.0
- [समष्टि आर्थिक \(मैक्रोइकोनॉमिक\) विकास](#)
  - 2020-21 की दूसरी त्रिमाही की GDP में 7.5% का संकुचन
- [वित्त](#)
  - स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा
  - आधारभूत व्यवहार्यता अंतराल अनुदान
  - IFSC में खुदरा व्यापार के विकास पर समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की
- [वधि एवं न्याय](#)
  - मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020
  - न्यायाधिकरण कानून 2020
- [गृह मामले](#)
  - वदेशी अंशदान से संबंधित नियमों में संशोधन
- [आयुष](#)
  - पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद शिक्षा पर रेगुलेशन अधिसूचि
- [सूचना एवं प्रसारण](#)
  - 43 मोबाइल एप बैं
  - टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी
  - डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कंटेंट
- [संचार](#)
  - अन्य सेवा प्रदाताओं के लिये नए दशा-निर्देश
- [सड़क परिवहन](#)
  - टैक्सी एग्रीगेटर्स
  - सड़क परिवहन मंत्रालय ने कई ड्राफ्ट नियम जारी किये
- [आवासन एवं शहरी मामले](#)
  - राजस्व तटस्थ प्रस्ताव
- [बजिली](#)
  - बजिली की खरीद के लिये प्रतिसिपर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया
  - ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन हेतु इक्विटी लॉक-इन अवधि में संशोधन
  - पीएम-कुसुम योजना

## कोवडि-19

### आत्मनिर्भर भारत 3.0

केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए आत्मनिर्भर भारत 3.0 (AtmaNirbhar Bharat 3.0) के तहत 12 नए उपायों की घोषणा की है।

[और पढ़ें](#)

## वर्ष 2020-21 की दूसरी त्रिमाही की GDP में 7.5% का संकुचन

वर्ष 2019-20 की दूसरी त्रिमाही (जुलाई-सितंबर) के मुकाबले वर्ष 2020-21 में इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 के स्थिर मूल्यों पर) में 7.5% प्रतक्षित का संकुचन हुआ। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष की पहली त्रिमाही में GDP में 23.9% की गतिवृद्धि हुई थी और यह नरितर दूसरी त्रिमाही है जब गतिवृद्धि दर्ज की गई है। इसकी तुलना में वर्ष 2019-20 की दूसरी त्रिमाही में GDP की वृद्धि 4.4% और पहली त्रिमाही में 5.2% थी।

पछिले वर्ष की पहली त्रिमाही के मुकाबले संचयी रूप से वर्ष 2020-21 की पहली त्रिमाही में GDP में 15.7% का संकुचन हुआ।

अर्थव्यवस्था के वभिन्न क्षेत्रों में GDP को सकल मूल्य संवर्द्धन (Gross Value Added- GVA) के लहिय से मापा जाता है। वर्ष 2020-21 की पहली त्रिमाही में सबसे अधिक संकुचन वाले चार क्षेत्रों (नरिमाण, व्यापार, वनरिमाण और खनन) के प्रदर्शन में दूसरी त्रिमाही के दौरान सुधार हुआ जबकि नरिमाण, व्यापार और खनन में संकुचन जारी है, वनरिमाण क्षेत्र में 0.6% की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 की दूसरी त्रिमाही में जनि अन्य क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई, वे हैं, कृषि और वदियुत।

## वित्त

### स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा

नजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों में मौजूदा स्वामित्व के दशिया-नरिदेशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने वाले कार्य समूह ने भारतीय रजिस्टर बैंक को अपनी रपिर्ट सौपी। समूह की संदर्भ शर्तों में नमिनलखिति की समीक्षा शामिल है:

- नजी बैंकों के स्वामित्व और नयितरण से संबंधित नयिम।
- बैंकिंग लाइसेंस के लयि आवेदन करने वाले बैंकों के लयि पात्रता मानदंड।
- प्रमोटर शेयर होल्डिंग हेतु नयिम।

समूह के मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल है:

- प्रमोटर शेयर होल्डिंग:** मौजूदा दशिया-नरिदेशों में नए बैंक के संचालन के पहले पाँच वर्षों में प्रमोटरों की हसिसेदारी कम-से-कम 40% होनी चाहिये। इसके बाद प्रमोटर की हसिसेदारी बैंक के संचालन के 10 वर्ष के भीतर अधिकतम 30% और 15 वर्ष के भीतर घटकर 15% हो जानी चाहिये। समूह ने सुझाव दया कि 40% के मूल लॉक-इन को बरकरार रखा जाए, 15 वर्ष की हसिसेदारी को 15% से बढ़ाकर 26% कया जाए और मध्यवर्ती लक्ष्यों को हटा दया जाए।
- नॉन-प्रमोटर शेयर होल्डिंग:** मौजूदा दशिया-नरिदेश नजी बैंकों में वभिन्न प्रकार के नविशकों के लयि दीर्घावधिक हसिसेदारी हेतु अलग-अलग सीमा तय करते हैं। उदाहरण के लयि कोई व्यक्त और गैर-वत्तीय संस्थान नजी बैंकों में 10% तक शेयर रख सकते हैं, वविधि सरकारी वत्तीय संस्थाएँ 40% तक शेयर रख सकती हैं। समूह ने लंबे समय तक नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग पर एक समान 15% की सीमा तय करने का सुझाव दया।
- बैंकों पर बजिनेस हाउस का स्वामित्व:** समूह ने सुझाव दया कि बड़े बजिनेस हाउस को बैंकों का प्रमोटर बनने की अनुमति दी जाए। हालाँकि उसने कहा कि इसके लयि एक ही बजिनेस हाउस की प्रमोटेड कंपनियों को बैंक द्वारा ऋण देने के लयि कानूनी ढाँचे की आवश्यकता होगी। बड़े बजिनेस हाउस के स्वामित्व को भी समेकित पर्यवेक्षण के लयि एक रूपरेखा की आवश्यकता होगी।
- बैंकों में रूपांतरण:** सुचारु रूप से संचालित उन गैर-बैंकिंग वत्तीय कंपनियों (NBFC), जनि की संपत्तिका आकार 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और जनि पर बड़े बजिनेस हाउस का स्वामित्व है, को बैंक में रूपांतरित कया जा सकता है। 10 वर्षों से अधिक समय से संचालित NBFC को इसकी अनुमति दी जा सकती है और हतियों के संभावित टकराव को दूर करने के लयि उपयुक्त सुरक्षा उपायों (जसि नरिदष्टि कया जा सकता है) को अपनाया जा सकता है।
- नए बैंकों की लाइसेंसिंग:** समूह ने सुझाव दया कि नए बैंकों की लाइसेंसिंग के लयि नयूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाया जा सकता है:
  - यूनविरसल बैंकों के लयि 500 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए।
  - छोटे वत्तीय बैंकों के लयि 100 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए।

### आधारभूत व्यवहार्यता अंतराल अनुदान

केंद्रीय कैबिनेट ने 'आधारभूत व्यवहार्यता अंतराल अनुदान' (Infrastructure Viability Gap Funding- VGF) योजना में सार्वजनिक नजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) हेतु वत्तीय सहायता के लयि इसे जारी रखने और इसके पुनर्गठन की मंजूरी दी है।

[और पढ़ें](#)

### IFSC में खुदरा व्यापार के विकास पर समतिने रपिर्ट प्रस्तुत की

[अंतरराष्ट्रीय वत्तीय सेवा केंद्र](#) (International Financial Services Centre- IFSC) में 'अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास' पर अंतरराष्ट्रीय वत्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की वशिषज्ज समतिने अपनी अंतरमि रपिर्ट IFSCA के अध्यक्ष को सौपी दी है। समतिने IFSC के बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार क्षेत्रों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के संबंध में सुझाव दये हैं। मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल है:

- **बैंकगि:** IFSC द्वारा बैंकगि इकाइयों को नवासी भारतीय खुदरा ग्राहकों को बैंकगि सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिये। ग्राहकों को अपनी पसंद की मुद्रा में चालू, बचत और सावधि जमा खाता खोलने की भी अनुमति होनी चाहिये। भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) का परपितर, जो कि IFSC द्वारा संचालित बैंकों को वनियमिति करता है, उन्हें गैर-खुदरा ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति देता है। समिति ने यह सुझाव भी दिया कि भारत के नवासियों को IFSC के खाते में धन राशियों को भेजने के लिये [उदारिकृत परेषण योजना](#) (Liberalised Remittance Scheme- LRS) का उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिये। LRS के तहत लोग स्वीकृत लेन-देन के लिये वदिशी करंसी भेज सकते हैं।
- IFSC ने RBI के परपितर के स्थान पर IFSC में संचालित होने वाली बैंकगि इकाइयों के लिये बैंकगि वनियम, 2020 को अधिसूचित किया। इन रेगुलेशंस में रेगुलेटर नयिम दिये गए हैं और बैंकगि इकाइयों के लिये स्वीकृत गतिविधियाँ भी दर्ज हैं। समिति के कुछ सुझावों को लागू करते हुए, यह भारत के नवासियों और अनवासियों, जिनके पास कुल मलिकर एक मलियन अमेरिकी डॉलर से कम की संपत्ति है, को वदिशी करंसी खाता खोलने की अनुमति देता है। यह भारतीय नवासियों को LRS का उपयोग करके स्वीकृत लेन-देन की अनुमति देता है।
- **बीमा:** अनवासी भारतीयों (Non-Resident Indians- NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (Persons of Indian Origin- PIO) को IFSC में कार्यरत बीमाकर्त्ताओं से भारत और वदिश में स्थिति अपने और परिवार के सदस्यों के लिये बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये। बीमा प्रीमियम कसि भी करंसी और पोर्टेबल (बाद में भुगतान की करंसी में परिवर्तन की अनुमति देने के लिये) देय होना चाहिये। वर्तमान में IFSC में कार्यरत बीमाकर्त्ताओं को केवल वदिशी करंसी में लेन-देन करने की अनुमति है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि नवासी भारतीयों को वशि्व में कहीं भी चकितिसा उपचार के लिये वदिशी स्वास्थ्य बीमा खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये। वर्तमान में IFSC के अंतरगत आने वाले बीमाकर्त्ताओं को IFSC के भीतर, भारत में अन्य वशिष आर्थिक क्षेत्रों के साथ या भारत के बाहर संस्थाओं के साथ लेन-देन करने की अनुमति है।

**पूजी बाज़ार:** नवासी भारतीयों को नमिनलखिति में नविश की अनुमति होनी चाहिये:

- (i) IFSC स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों में।
- (ii) IFSC में वैकल्पिक नविश फंड और म्यूचुअल फंड (LRS मार्ग के माध्यम से) में।

वर्तमान में नवासी भारतीय IFSC की संस्थाओं में नविश कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका नविल मूल्य कम-से-कम एक मलियन अमेरिकी डॉलर हो और वे अपतटीय नविश करने के लिये [वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम \(फेमा\)](#) के अंतरगत पात्र हों।

## वधि एवं न्याय

### मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश [Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance], 2020 को जारी किया गया है। यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act), 1996 में संशोधन करता है। अधिनियम में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित प्रावधान हैं और यह सुलह प्रक्रिया के संचालन से संबंधित कानून को स्पष्ट करता है। अध्यादेश की मुख्य वशिषताएँ नमिनलखिति हैं:

- **फैसले पर ऑटोमैटिक स्टे:** 1996 के अधिनियम में वभिनिन पक्षों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे मध्यस्थता संबंधी कसि फैसले (मध्यस्थता फैसला यानी मध्यस्थता की प्रक्रिया में दिया गया कोई आदेश) के नवारण (सेटगि असाइड) के लिये आवेदन कर सकते हैं। न्यायालयों ने इस प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की थी कि न्यायालय के समक्ष जैसे ही नवारण के लिये कोई आवेदन रखा जाता है, उसी क्षण मध्यस्थता के फैसले पर ऑटोमैटिक स्टे लग जाएगा। वर्ष 2015 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और कहा गया कि मध्यस्थता संबंधी कसि फैसले पर सरिफ इस वजह से स्टे नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसके नवारण के लिये अदालत में आवेदन किया गया है।
- अध्यादेश में नरिदषिट कथिा गया है कि मध्यस्थता संबंधी कसि फैसले पर रोक लगाई जा सकता है (आवेदन के लंबित रहने के बावजूद), अगर न्यायालय को इस बात का वशिवास है कि:
  - संबंधित आरबट्रिशेन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, फैसला, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था।
- **मध्यस्थों की योग्यता:** अधिनियम एक अलग अनुसूची में मध्यस्थों के लिये कुछ योग्यता, अनुभव और मान्यता मानदंडों को नरिदषिट करता है। अनुसूची के अंतरगत शर्तों में कहा गया है कि मध्यस्थ को

- (i) [अधविकता अधिनियम, 1961](#) के अंतरगत वकील होना चाहिये और उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
- (ii) उसे भारतीय कानूनी सेवा का अधिकारी होना चाहिये।

इसके अतरिकृत मध्यस्थों पर लागू सामान्य मानदंडों में यह भी शामिल है कि उन्हें भारतीय संवधान का जानकार होना चाहिये।

- अध्यादेश में इस अनुसूची को हटा दिया गया है और कहा गया है कि आरबट्रिटर्स की क्वालफिकेशन, अनुभव और एकरेडेशन के नयिमों को रेगुलेशंस द्वारा नरिदषिट किया जाएगा।

### न्यायाधिकरण कानून 2020

सरवोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अरहता, अनुभव और अन्य सेवा-शर्तें) नयिम [Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualification, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules], 2020 के वभिनिन पहलुओं पर फैसला सुनाया। ये नयिम 19 न्यायाधिकरण के सदस्यों की अरहताओं, सेवा-शर्तों और कार्यकाल को नरिधारित करते हैं।

वर्ष 2019 में सरवोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में अधिसूचित नयिमों के एक पूर्व संस्करण को रद्द कर दिया था। तब न्यायालय ने कहा था कि ये नयिम

संवधान के उन वभिन्न सिद्धांतों के विरोधी हैं जिनमें न्यायापालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने पर बल दिया गया है। सरकार को इन नियमों को दोबारा बनाने को कहा गया था ताकि न्यायालय के पूर्व फैसलों के अनुकूल हो सकें। इसके बाद 2020 के नियमों को अधिसूचित किया गया।

इस फैसले की मुख्य झलकियाँ निम्नलिखित हैं:

- **स्वतंत्र निकाय:** न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यायाधिकरण में नियुक्तियों, साथ ही उनके कामकाज और प्रशासन के प्रबंधन के लिये एक स्वतंत्र निकाय का गठन करे, जिसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का नाम दिया जाए। इसके लिये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग प्रभाग का गठन किया जा सकता है जो आयोग का गठन होने तक न्यायाधिकरण की आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण करेगा।
- **चयन समिति:** न्यायालय ने कहा कि चयन समिति निर्णय लेते समय न्यायिक सदस्यों को प्रमुखता नहीं देती। उसने निर्दिष्ट किया कि समिति में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिये:

(i) भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका नॉमिनी (निर्णायक मत के साथ),

(ii) न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी न्यायिक सदस्य न हो या वह पुनर्नियुक्ति की मांग कर रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।

(iii) वधि एवं न्याय मंत्रालय सचिव।

(iv) नॉन पेरेंट मंत्रालय के केंद्र सरकार का सचिव।

(v) पेरेंट मंत्रालय का सचिव (निर्णायक मत के बिना)।

- **अधिवक्ताओं की योग्यता:** 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ता न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे (कुछ न्यायाधिकरणों में 25 वर्ष के अनुभव की वर्तमान शर्त के स्थान पर)।
- **कार्यकाल:** न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष के बजाय पाँच वर्ष का होगा। इसके अतिरिक्त वाइस चेरपरसन, वाइस प्रेज़िडेंट और अन्य सदस्यों का कार्यकाल उनके 67 वर्ष के होने तक होगा (65 वर्ष के स्थान पर)।
- **2020 के नियमों का प्रभाव:** 2020 के नियमों का प्रत्याशित प्रभाव होगा और ये नियम अधिसूचना की तारीख (12 फरवरी, 2020) से लागू होंगे। इसके अतिरिक्त निर्णय की तारीख तक नियमों के अंतर्गत नियुक्तियाँ वैध होंगी।
- **नियुक्तियाँ:** केंद्र सरकार को चयन समिति के सुझावों के तीन महीने के अंदर न्यायाधिकरण की सभी नियुक्तियाँ करनी होंगी।

## गृह मामले

### वदिशी अंशदान से संबंधित नियमों में संशोधन

गृह मामलों के मंत्रालय ने वदिशी अंशदान से संबंधित नियमों को और कठोर बनाने के उद्देश्य से वदिशी अंशदान (वनिधिम) अधिनियम, 2010 के तहत नए नियम अधिसूचित किये हैं।

[और पढ़ें](#)

## आयुष

### पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद शिक्षा पर रेगुलेशन अधिसूचित

[भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद](#) (Central Council of Indian Medicine - CCIM) ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन वनिधिम, 2020 को अधिसूचित किया है। यह [आयुर्वेद](#) में स्नातकोत्तर शिक्षा को वनिधिमिति करने के लिये जारी 2016 के नियमों में संशोधन करता है।

2020 के वनिधिम में निर्दिष्ट किया गया है कि शल्य (सामान्य सर्जरी) और शालक्य (आँख, नाक, गला, सरि, मुँह और दाँत) के स्नातकोत्तर छात्रों को स्वतंत्र रूप से कुछ कस्मि की सर्जरी करने के लिये व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिये। शल्य चिकित्सा छात्रों के लिये सर्जरी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) ड्रेनेज ऑफ अबसेसेज़।
- (ii) सकनि ग्राफ्टिंग।
- (iii) एम्प्यूटेशन ऑफ गैंग्रीन।

शलक्य चिकित्सा छात्रों के लिये सर्जरी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) टॉन्सिलेक्टॉमी।
- (ii) डेविएटेड सेप्टम।
- (iii) मोतियाबिंद।
- (iv) रूट कनाल ट्रीटमेंट।



### 43 मोबाइल एप बैन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 43 एप्स पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया है कि उनसे राज्य की संप्रभुता, एकता, रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। इन एप्स में अलीएक्सप्रेस (AliExpress), लालामोव (Lalamove) और स्नैक वीडियो (Snack Video) शामिल हैं। मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों पर इन एप्स के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय ने जून 2020 में 59 मोबाइल एप्स और सितंबर 2020 में 118 मोबाइल एप को इसी आधार पर प्रतिबंधित किया था। इन प्रतिबंधित एप्स में टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र और PUBG मोबाइल लाइट शामिल हैं।

### टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के मौजूदा दशा-नरिदेशों की समीक्षा के लिये एक समिति का गठन किया है। दशा-नरिदेश टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के लिये पात्रता मानदंड और पंजीकरण प्रक्रिया को नरिदष्ट करते हैं। ये दर्शकों के मापन का तरीका भी नरिदष्ट करते हैं।

टेलीविज़न रेटिंग की माप के लिये मौजूदा दशा-नरिदेश (2014) घरों के पूल से चयनित एक पैनल का नरिधारण करते हैं जहाँ ऑडियंस मेजरमेंट डेविड्स रखा जाता है (रेटिंग के माप के लिये सैंपल साइज)। यह 20,000 घरों का सैंपल आकार नरिधारित करता है, जसि 50,000 घरों तक पहुँचने के लिये प्रतिवर्ष 10,000 तक बढ़ाया जाना था।

मंत्रालय ने कहा था कि तकनीकी प्रगति को देखते हुए दशा-नरिदेशों की समीक्षा की आवश्यकता है, और इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) को कुछ सुझाव दिये गए थे। इसने मौजूदा दशा-नरिदेशों में बदलाव की सफ़ारिश करने के लिये एक समिति (अध्यक्ष: शशा एस. वेमपति, सीईओ, प्रसार भारती) का गठन किया है। समिति के नियमों और संदर्भों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- इस विषय पर प्राप्त पहले के सुझावों का अध्ययन।
- पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिये सुझाव देना।
- क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिये उपायों को सुझाना।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2020 में ट्राई ने भारत में टेलीविज़न रेटिंग प्रणाली पर सुझाव जारी किये थे। इसमें कहा गया है कि देश में टेलीविज़न रेटिंग करने वाली सरिफ़ एक कंपनी मंत्रालय के साथ पंजीकृत है (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल या BARC जो कि उद्योग की अपनी नक़िय है)। उसने BARC के संयोजन में बदलाव करने का सुझाव दिया था ताकि हितों के टकराव को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त उसने सुझाव दिया था कि वर्ष 2020 के अंत तक पैनल के आकार को 44,000 से बढ़ाकर 60,000 किया जाए और 2022 के अंत तक इसे एक लाख कर दिया जाए। ट्राई ने कहा कि बड़े सैंपल का आकार माप रेटिंग की मज़बूती को बेहतर बनाता है।

### डजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कंटेंट

केंद्र सरकार ने अपने एक महत्त्वपूर्ण नरिणय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कुछ कंटेंट को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने की घोषणा की है।

[और पढ़ें](#)

## संचार

### अन्य सेवा प्रदाताओं के लिये नए दशा-नरिदेश

दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) ने अन्य सेवा प्रदाताओं (Other Service Providers- OSP) के लिये नए दशा-नरिदेशों को जारी किया। नए दशा-नरिदेश बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (Business Process Outsourcing- BPO) और आईटी-सक्षम सेवा उद्योग के लिये अनुपालन के बोझ को कम करने का प्रयास करते हैं। ये अगस्त 2008 में जारी दशा-नरिदेशों का स्थान लेते हैं। नए दशा-नरिदेशों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- OSP की परिभाषा:** पहले OSP को ऐसी कंपनियों के रूप में परिभाषित किया गया था जो कि अधिकृत टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करते हुए विभिन्न एप्लीकेशन सेवाएँ जैसे- टेली बैंकिंग, टेली-कॉमर्स, कॉल सेंटर और अन्य आईटी-सक्षम सेवाएँ प्रदान करती हैं। नए दशा-नरिदेशों में कहा गया है कि OSP ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो कि आवाज़-आधारित बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं। इसलिये नए दशा-नरिदेशों के अनुसार, डेटा संबंधित कार्य करने वाले BPO, OSP दशा-नरिदेशों के दायरे से बाहर होंगे।
- OSP का पंजीकरण:** पूर्व दशा-नरिदेशों के अनुसार, देश में सेवाएँ प्रदान करने के लिये OSP को DoT में पंजीकरण करना होता था। नए दशा-नरिदेशों में पंजीकरण की जरूरत को हटा दिया गया है।
- वर्क फ्रॉम होम की सुविधा:** OSP उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं जो घर से काम करते हैं। इससे पहले OSP को DoT से अनुमति लेने और वर्क फ्रॉम होम के लिये बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता थी। नए दशा-नरिदेश वर्क फ्रॉम होम के लिये इन आवश्यकताओं को हटा देते

हैं।

- **बुनियादी ढाँचे का साझाकरण:** इससे पहले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय OSP के बीच बुनियादी ढाँचे के साझाकरण को DoT से पूर्व अनुमोदन के साथ अनुमति दी गई थी। इसमें एक ही कंपनी की संस्थाओं के बीच साझाकरण की अनुमति दी गई थी। OSP को इस उद्देश्य के लिये बैंक गारंटी प्रदान करना आवश्यक था। नए दशिया-नरिदेश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय OSP के बीच बुनियादी ढाँचे के साझाकरण की अनुमति दी जाती है। इस उद्देश्य के लिये किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

## सड़क परविहन

### टैक्सी एग्रीगेटरस

सड़क परविहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने [मोटर वाहन \(संशोधन\) अधिनियम \(Motor Vehicles \(Amendment\) Act\), 2019](#) के अनुसार, वाहन एग्रीगेटर दशिया-नरिदेश (Vehicle Aggregator Guidelines) 2020 जारी किये। यह अधिनियम एग्रीगेटरस को डिजिटल इंटरमीडियरी या मार्केटप्लेस के रूप में परभाषित करता है, जिनका उपयोग यात्रियों द्वारा परविहन (टैक्सी सेवाएँ) हेतु ड्राइवर के साथ जुड़ने के लिये किया जा सकता है। एग्रीगेटरस को काम करने के लिये राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा जारी दशिया-नरिदेशों के आधार पर एग्रीगेटरस को वनियमिति कर सकती हैं।

दशिया-नरिदेश साझा मोबिलिटी को वनियमिति करने, यातायात की भीड़ एवं प्रदूषण को सुगम तरीके से कम करने, ग्राहक सुरक्षा और ड्राइवर वेलफेयर सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। दशिया-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **पात्रता:** एक आवेदक को [कंपनी अधिनियम, 2013](#) के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिये या सहकारी समिति अधिनियम (Co-operative Societies Act), 1912 के अंतर्गत एक सहकारी समिति होना चाहिये। उसके पास भारत में पंजीकृत एक कार्यालय भी होना चाहिये।
- **लाइसेंसिंग:** एग्रीगेटरस को जारी किया गया लाइसेंस पाँच वर्षों के लिये वैध होगा जिसके बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा उसे नवीनीकृत किया जाएगा। यदि एग्रीगेटर इन दशिया-नरिदेशों का पालन नहीं करता है तो प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। संबंधित प्राधिकरण राज्य परविहन प्राधिकरण के पोर्टल पर लाइसेंस की सूची अपडेट करेगा।
- **ड्राइवर के लिये दशिया-नरिदेश:** ड्राइवरों के संबंध में आवेदकों को वभिन्न दशिया-नरिदेशों का पालन करना होगा:
  - (i) नरिधारित दशिया-नरिदेशों के अनुसार, उनकी ड्राइविंग क्षमता का परीक्षण (जैसे मोटर वाहन एक्ट, 1988 से परचिति होना, जेंडर सेंसिटिइजेशन)।
  - (ii) एक वैध आईडी प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस सुनिश्चित करना।
  - (iii) पुलिस सत्यापन।
  - (iv) नरिदेशों के अनुसार प्रत्येक ड्राइवर का स्वास्थ्य और सावधिबीमा सुनिश्चित करना।
- **वाहन अनुपालन:** आवेदकों को वाहनों के संबंध में नमिनलखिति अनुपालनों को सुनिश्चित करना होगा जैसे:
  - (i) वैध पंजीकरण, परमिट और फटिनेस प्रमाणपत्र।
  - (ii) वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
  - (iii) ईंधन संबंधी मानदंडों का अनुपालन।
  - (iv) लागू करों का भुगतान।
  - (v) सेंटरल लॉकगि सस्टिम के मैनुअल ओवरराइड को सक्षम करना।
- **करिया वनियमिन:** मौजूदा वर्ष के लिये बेस करिया WPI द्वारा अनुक्रमति शहर की टैक्सी का करिया होगा। एग्रीगेटर को बेस फेयर से 50% कम और बेस फेयर के अधिकतम सर्ज प्राइसिंग (Surge Pricing) से 50% कम चार्ज करने की अनुमति होगी। एक ड्राइवर को एक राइड पर कम-से-कम 80% करिया मलिना चाहिये।

### सड़क परविहन मंत्रालय ने कई ड्राफ्ट नयिम जारी किये

सड़क परविहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नयिम, 1989 में संशोधन करने वाले कई मसौदा नयिम जारी किये। इन मसौदा नयिमों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

**वटिज मोटर वाहन:** वर्तमान में हेरटिज वेल्यू के वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को वनियमिति करने के लिये कोई नयिम नहीं है। मसौदा नयिम वटिज मोटर वाहनों को उन सभी वाहनों (गैर-वाणज्यिक/व्यक्तगत उपयोग के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले दोपहिया और चारपहिया) के रूप में परभाषित करते हैं साथ ही उनका पंजीकरण 50 वर्ष से भी पहले हुआ हो (आयातित वाहनों सहित)। वाहन में बहुत अधिक फेरबदल (Overhaul) नहीं होनीना चाहिये।

राज्य सरकार एक वटिज मोटर वाहन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश समिति की नयिकृत करेगी, जो पुराने मोटर वाहनों के अनुमोदन या अस्वीकृत के बारे में सभी नरिणयों को अंतिम रूप देगी। राज्य ऐसे वाहनों के पंजीकरण हेतु सभी आवेदनों को संसाधित करने के लिये एक नोडल अधिकारी नयिकृत करेगा। ऐसे पंजीकृत वाहनों की बकिरी और खरीद के लिये क्रेता और वकिरेता संबंधित राज्य परविहन प्राधिकरण को सूचित करेंगे और नए मालिक के नाम पर पंजीकरण दर्ज किया जाएगा।

एक वटिज मोटर वाहन को केवल कुछ आधार जैसे- प्रदर्शनी, तकनीकी अनुसंधान, एक वटिज कार रैली में भाग लेने, ईंधन भरने और रखरखाव के लिये भारतीय सड़कों पर चलाने की अनुमति होगी।

**मोटर वाहन मालिक के नॉमिनी का पंजीकरण:** मसौदा नयिमों में प्रावधान है कि मोटर वाहन का मालिक वाहन के पंजीकरण के समय एक व्यक्त को नॉमिनी

बनाएगा। इससे वाहन मालिक की मृत्यु होने पर मोटर वाहन को नॉमिनी के नाम पर पंजीकृत या स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी।

## आवासन एवं शहरी मामले

### राजस्व तटस्थ प्रस्ताव

आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) ने स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में बदलाव के कारण हुए असर पर एक रपिपोर्ट जारी की। यह रपिपोर्ट राज्यों को कम मूल्य के आवासों के लिये स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कम करने का औचित्य प्रदान करती है, लेकिन इस बदलाव का असर उनके समूचे राजस्व पर नहीं पड़ेगा।

रपिपोर्ट में मुख्य नषिकर्षों में शामिल हैं:

- **सभी के लिये आवास:** इस नीतिका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी नागरिकों को आवास प्रदान करना है। इस नीतिके अंतर्गत सरकार नर्जि डेवलपर्स को प्रोत्साहित कर आवासों की संख्या में वृद्धि करना चाहती है। हालाँकि नीतिसिधे उच्च अचल संपत्तिकी कीमतों के मुद्दे को संबोधित नहीं करती है। आवास की उच्च कीमतों के प्रमुख कारणों में से एक लेन-देन के समय राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला उच्च स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क है।
- **स्टांप शुल्क और पंजीकरण:** इन कर दरों में पछिले कुछ वर्षों में गरिवट आई है, जबकियह अभी भी अधिक है और संपत्तिके मूल्य का 5-13% है। हालाँकि इन करों से राज्य सरकारों को काफी राजस्व मलिता है (लगभग 7%), इसलिये वे इन करों को कम करने के इच्छुक नहीं हैं जो कघर खरीदने की प्रभावी लागत को कम कर सकता है। इसकी तुलना में अन्य देशों (यूके, जापान, जर्मनी) में स्टांप शुल्क की दरें कम हैं।
- **मुद्दे:** स्टांप शुल्क के ज़यादा होने से लेन-देन की पूरी जानकारी नहीं दी जाती और कर चोरी भी होती है। जानकारी न देने के कई परिणाम होते हैं जैसे:
  - (i) भूमि और संपत्तिको पूरी तरह से कोलेटरलाइज नहीं किया जाता।
  - (ii) सरकारी राजस्व में हानि।
  - (iii) काले धन के लेन-देन में वृद्धि।
  - (iv) बाज़ार मूल्यों में उतार-चढ़ाव (Bubbles) के लिये अतसिंवेदनशील होना।
- इससे नपिटने के लिये सरकलि रेट या गाइडेंस वैल्यू को शुरू किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुए।
- **राजस्व तटस्थ प्रस्ताव:** रपिपोर्ट बताती है कथिदा राज्य आवास के मूल्यों को कम करने के लिये स्टांप शुल्क को कम करते हैं तो वे राजस्व तटस्थ (या राजस्व भी बढ़ा सकते हैं) रह सकते हैं। करों को कम करने से जतिने राजस्व का नुकसान होता है, उसकी भरपाई सभी के लिये आवास के अंतर्गत बनाए गए हाउसिंग स्टांप से प्राप्त अतरिकित कर राजस्व से की जाएगी। करों को कम करने से मांग बढ़ सकती है जो आवास नीतिके बनिा भी अतरिकित आपूर्तिको बढ़ावा देगी। प्रस्ताव यह सुनिश्चित करता है ककिम मूल्य के आवास के लिये स्टांप ड्यूटी या तो कम कर दी जाए या पूरी तरह से हटा दी जाए, जबकिये उच्च मूल्य के आवास के लिये शुल्क पहले की तरह बने रहें।

## बजिली

### बजिली की खरीद के लिये प्रतसिपर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया

वदियुत मंत्रालय ने कोयला आधारित थर्मल पावर स्रोतों से बजिली के साथ ही अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy- RE) स्रोतों से चौबीसों घंटे (Round-The-Clock -RTC) बजिली की खरीद के लिये टैरफि-आधारित प्रतसिपर्द्धा बोली प्रक्रिया के दशिा-नरिदेशों में संशोधन किया। जुलाई 2020 में दशिा-नरिदेश जारी किये गए थे ताकअक्षय ऊर्जा की अनरिंतर प्रकृति के मद्देनजर ऊर्जा के थर्मल स्रोतों के साथ अक्षय ऊर्जा की बंडलिंग (Bundling of Renewable Rnergy) को आसान बनाया जा सके। संशोधन ऊर्जा के कसिी भी स्रोत के साथ अक्षय ऊर्जा की बंडलिंग को सक्षम बनाते हैं। इससे RTC खरीद के लिये सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होगी। प्रमुख संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **नीलामी के मानदंड:** पहले के मानदंडों के अनुसार, कंपोजिट टैरफि (बजिली के अन्य स्रोत के साथ अक्षय ऊर्जा हेतु टैरफि) बोली प्रक्रिया का मानदंड था। संशोधन में मूल्यांकन के मानदंड के रूप में RTC बजिली की प्रतसिपर्द्धा आपूर्तिके भारित औसत स्तरीय (Weighted Average Levelized) टैरफि नरिदषिट किया गया है। भारित औसत स्तरित टैरफि ऐसा शुल्क होता है जो बजिली खरीद समझौते (Power Purchase Agreement- PPA) में नरिदषिट RE स्रोतों और गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के अनुपात पर वचिार करके नरिधारित किया गया है। इसमें नमिनलखिति शामिल होंगे: RE बजिली और गैर-अक्षय ऊर्जा बजिली (जैसे उपकरण और बुनयिादी ढाँचे में नविश) के नश्चित घटक। टैरफि के नरिधारित घटक को PPA की अवधि के प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परिवर्तनशील घटक को कमीशनगि की नरिधारित तथिि पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- **बजिली की उपलब्धता में कमी पर जुरमाना:** जुलाई 2020 में जारी किये गए दशिा-नरिदेशों में यह नरिदषिट किया गया है कः
  - (i) सालाना कम-से-कम 51% बजिली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होनी चाहिये।
  - (ii) अक्षय ऊर्जा उत्पादन एक वर्ष में और पीक आवर के दौरान कम-से-कम 85% उपलब्ध होनी चाहिये।

यदि इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता है तो बजिली उत्पादक इस कमी की 25% लागत को जुरमाने के तौर पर चुकाएगा (इसे वर्ष के दौरान देय अधिकतम कंपोजिट टैरफि के आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा)। संशोधनों में इसे 400% तक कर दिया गया है जिसकी गणना वर्ष के दौरान देय टैरफि के आधार पर की जाएगी।

- **पीक आवरस:** वर्तमान में पीक आवरस में दनि के चार घंटों को गनिा जाता है जो शाम के होते हैं या सुबह के, जैसा कखरीदार के दस्तावेजों में लिखा हो। संशोधनों के अनुसार, पीक आवर दनि के वे चार घंटे होंगे जनिहें क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा नरिदषिट किया जाएगा।

## ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन हेतु इक्विटी लॉक-इन अवधि में संशोधन

वद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली को स्थापित करने के लिये टैरिफ आधारित प्रतस्पर्द्धी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता के चयन हेतु मानक नीलामी दस्तावेजों में नरिदष्टि इक्विटी लॉक-इन अवधि में संशोधन किया।

पहले के प्रावधान के अनुसार, चयनित बोलीदाता को वाणज्यिक परचालन की तारीख से दो वर्षों के लिये कम-से-कम 51% और उसके बाद तीन तीन वर्षों के लिये 26% पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी को होल्ड करना होता था। संशोधनों में कहा गया है कि चयनित बोलीदाता को वाणज्यिक परचालन की तारीख से एक वर्ष के लिये कम-से-कम 51% पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी को होल्ड करना होगा।

प्रस्तावों के अनुरोध के लिये बोली लगाने वाले कंसोर्टियम के मामले में कंसोर्टियम को वाणज्यिक परचालन की तारीख के बाद दो वर्ष के लिये 51% इक्विटी शेयर पूंजी को होल्ड करना आवश्यक था जिसमें मुख्य सदस्य के पास वाणज्यिक परचालन की तारीख से पाँच वर्ष तक 26% शेयर होल्डिंग होनी चाहिये। संशोधनों में इन दोनों के लिये एक वर्ष की अवधितय की गई है।

## पीएम-कृषुम योजना

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) ने प्रधानमंत्री [कृषुम ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान](#) (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyaan) योजना के लक्ष्य में संशोधन किया है।

[और पढ़ें](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-november-2020>

